



कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
कुम्हेर, जिला डीग पिन-321201

प्रो० एस.आर. ढाका
अधिष्ठाता

Tel- 9414042027

Email- dean.coabharatpur@sknau.ac.in


क्र.सं. फ./खु.नि./भंडार/कृ.म.भ./2024/2576

दिनांक: 05.09.2024

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर के वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित कार्य की आवश्यकतानुसार आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों से दिनांक: 19.09.2024 को निर्धारित प्रपत्र में प्रातः 11:30 तक सीलबन्द निविदाएँ द्वि-पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रु. 500/- नगद, UPI, बैंक ड्राफ्ट व बैंकर चैक जो कि अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय भरतपुर के नाम देय हो, द्वारा ही भुगतान कर दिनांक 19.09.2024 को प्रातः 11.00 तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा www.sknau.ac.in व <http://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ दिनांक: 19.09.2024 को दोपहर 01:00 उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर कर्ता को होगा।

| क्र.सं. | कार्य विवरण | अनुमानित राशि (₹) | 2 प्रतिशत धरोहर राशि |
|---------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | Farm Implements: (1) Rotavator, (2) Fixed Lift Disc Harrow & (3) Tractor Mounted Sprayer | 317000 | 6340 |


अधिष्ठाता

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक: 19.09.2024 को अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में भेजने का श्रम करें।
- कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/.....।
- प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in व <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
- कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर (भरतपुर) के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
- कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
- पंचायत समिति कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
- हॉस्टल वार्डन, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।


अधिष्ठाता

2

कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
कुम्हेर, जिला डीग पिन-321201
निविदा प्रपत्र "अ"

कृषि महाविद्यालय कुम्हेर पर Farm Implements: (1) Rotavator, (2) (Fixed) Lift Disc Harrow & (3) Tractor Mounted Sprayer हेतु खुली निविदा संख्या फ./खु.नि./भंडार/कृ.म.भ./2024/2521 दिनांक: 21.08.2024 दर संविदा हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों से खुली निविदाएं निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:-

| क्र. सं. | आपूर्ति सामग्री का विवरण | अनुमानित राशि (लाख में) | बोली प्रतिभूति (Bid Security) | निविदा शुल्क | निविदा प्राप्त करने की तिथि व समय | निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय | निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय |
|----------|---|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Farm Implements: (1) Rotavator, (2) Fixed Lift Disc Harrow & (3) Tractor Mounted Sprayer | 317000 / - | 6340 / - (जरिए नगद, UPI, बैंक ड्राफ्ट व बैंकर चैक जो कि अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय भरतपुर के नाम देय हो,) भौतिक रूप से प्रस्तुत करने होंगे | 500 / - (जरिए नगद, UPI, बैंक ड्राफ्ट व बैंकर चैक जो कि अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय भरतपुर के नाम देय हो,) भौतिक रूप से प्रस्तुत करने होंगे | 19.09.2024 समय प्रातः 11:00 तक | 19.09.2024 प्रातः 11:30 तक भौतिक रूप से प्रस्तुत करने होंगे | 19.09.2024 दोपहर 01:00 से |


अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर
तकनीकी बिड (Annexure-I)

(लिफाफा नं. 01)

निविदा की नियम व शर्तें :-

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. फर्म के GST/PAN/Bank account के Cancel Cheque की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
3. निविदादाता को **Farm Implements: (1) Rotavator, & (2) Fixed Lift Disc Harrow**, के लिए निविदा प्रपत्र के साथ उक्त उपकरणों का भारत सरकार के अधिकृत कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान या भारत सरकार द्वारा प्रमाणित कृषि मशीनरी परीक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त प्रमाणपत्र के अभाव में निविदा को तकनीकी मापदंडों के अभाव में अस्वीकार किया जाएगा।
4. निविदादाता को सभी **Farm Implements** के **Broacher** एवं सर्विस सेंटर, ग्राहक सेवा/संबंधित का **मोबाईल नं०** संलग्न करने होंगे।
5. लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी दस्तावेजात संलग्न बोली प्रतिभूति राशि रु 6340/- तथा वेबसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर अलग से निविदा शुल्क रु 500/ का नकद/UPI/DD/BC अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय भरतपुर के पक्ष में लिफाफा नं 01 में रखें।
6. लिफाफा नं. 2 में केवल वित्तीय बिड रखें तथा वित्तीय बिड तभी खोली जावेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहता है।
7. दानों लिफाफों (01 व 02) को एक लिफाफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना है।
8. सफल निविदादाता को राजकीय नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति (**Performance security**) 5 प्रतिशत जमा करानी होगी। जिसमें 2 प्रतिशत धरोहर राशि समायोजित कर ली जावेगी। जमा राशि सामान सप्लाई/कार्य समाप्ति के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी। जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
9. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। प्रत्येक कार्यादेश/क्रय आदेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं महाविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
10. निविदादाता का कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करना होगा।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण स्वामित्व अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कुम्हेर को होगा।
12. सफल निविदादाता को कार्यादेश से आपूर्ति 20 दिन के भीतर करनी होगी। निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियम के अनुसार राशि (L.D.) वसूल की जाएगी।
13. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री की आपूर्ति करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय कुम्हेर को यह अधिकार होगा कि अनुमादित फर्म के हर्ज खर्च पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित आपूर्ति अन्य फर्म से ले सकेंगे। तथा बोली प्रतिभूति (**Bid security**) एवं कार्य संपादन राशि (**Performance Security**) Forfeiture जब्त की जा सकेगी।
14. अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें सूचना राजस्थान लोकउपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
16. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के उपर साफ लिखकर श्रीमान अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कुम्हेर स्पष्ट लिखकर कार्यालय में प्रस्तुत करे।
17. निविदादाता/फर्म पिछले तीन साल का टर्नओवर (प्रपत्र-अ) प्रमाण पत्र सी.ए. प्रमाणित मय UDIN के साथ प्रस्तुत करे। निविदादाता/फर्म का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 20 लाख होना चाहिए।
18. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र भरतपुर होगा।
19. न्यूनतम निविदा पर जिसे कमेटी उचित न समझे कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
20. दो या दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा दी गई दरों में यदि समानता होती है तो अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कुम्हेर द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
21. बोली प्रतिभूति (**Bid security**) राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार दस्तावेज पत्र प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'य') में शपथ पत्र भी संलग्न करना है।

Kay

- 22. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price preference) की हकदार नहीं है, द्वारा निविदा दरो की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् स्थानीय व बाहरी फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरो की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से बिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय बिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।
- 23. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरो से कम दरो पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही महाविद्यालय द्वारा कम दरो पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Price Fall Clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' भी संलग्न करना होगा।
- 24. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी प्रपत्र 'स' संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security) एवं कार्य संपादन राशि (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।
- 25. केवल न्यूनतम दर ही निविदा स्वीकृति का आधार नहीं होगा। दर के साथ-साथ सामग्री की गुणवत्ता को भी आधार माना जाएगा।
- 26. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार - बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-
 - (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
 - (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और
 - (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
- 26 हित का विरोध -
 - (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
 - (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
 - (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
 - (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
 - (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
 - (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
 - (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-
 - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
 - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
 - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
 - (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
 - (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

Ram

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

27. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘र’) में अपील दाखिल कर सकेगा। बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है। परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रारूप – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र -‘र’) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के सँदाय के सबूत के साथ होगी।

- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
3. अपील फाइल करने के लिए फीस – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर, चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होंगा।
4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्था को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—
(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
28. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति –
(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।


अधिष्ठाता

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूंगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

7

प्रपत्र - 'ब'

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र - 'स'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालयों में **Farm Implements: (1) Rotavator, (2) Fixed Lift Disc Harrow & (3) Tractor Mounted Sprayer** की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति **Sub-Standard** होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र - 'द'

Price Fall Clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने **itmes for office use** जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशाषी संस्था आदि को **Farm Implements: (1) Rotavator, (2) Fixed Lift Disc Harrow & (3) Tractor Mounted Sprayer** आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही महाविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।



निविदादाता के हस्ताक्षर

Affidavit
(on non-judicial stamp paper of 100/-)

I..... S/o Aged..... yrs,
residing at Proprietor/Partner/Director of M/s
do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s has been issued
acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the
District Industries Center..... The acknowledgment No. is
Dated and has been issued for manufacture of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum
Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department
and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully
equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I..... S/oAged yrs residing at
Proprietor / Partner/ Director of M/s verify and confirm that the contents
at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing
has been concealed there in. So, help me God.



Deponent

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
.....

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

वित्तीय विवरण

| वित्तीय वर्ष | ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (₹) |
|--------------|--|
| 2020-21 | |
| 2021-22 | |
| 2022-23 | |
| योग | |

औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मौहर एवं दिनांक

Verified by C.A. with UDIN

(11)

कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
तकनीकी निविदा प्रपत्र
(लिफाफा नं. 01)

1. के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पता.....
.....
3. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है : अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर।
4. सन्दर्भ :
5. निविदा शुल्क रु..... नकद/चैक जो रसीद सं.....
द्वारा जमा कराया गया।
6. हम निविदा सूचना संख्या.....दिनांक..... की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर हैं, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
7. उपरोक्त दरें 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेंगी जिसे आपसी सहमति से तीन माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
8. ड्राफ्ट/चैक नं..... नकद रसीद सं..... दिनांक..... रुपये.....
प्रतिभूति राशि के साथ संलग्न है।
9. आयकर विवरणी सेल्स टेक्स रजिस्ट्रेशन/PAN/TAN/GST सर्टिफिकेट संलग्न है।
10. निर्माता/डीलर का घोषणा पत्र संलग्न है।
11. (Annexure-I) तकनीकी लिफाफा संलग्न है।
12. चाहे गये सामान/कार्य के लिए हमारी दरें इस प्रकार हैं – List enclosed – Annexure-II (लिफाफा नं. 02)



(हस्ताक्षर निविदादाता)

12

कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर
कृषि उपकरण आपूर्ति निविदा
तकनीकी मापदण्ड (लिफाफा नं. 1 में रखना है)
Farm Implements Specifications

| Name of Item | S. No. | Technical specification | Make/Modal with broacher | Yes/No |
|--------------------------------------|--------|---|--------------------------|--------|
| (1) Rotavator | 1 | Total Width Minimum- 2300 mm | | |
| | 2 | Working Width Minimum - 2050 mm | | |
| | 3 | HP required - 50-60 HP | | |
| | 4 | Number of Blades - 60 | | |
| | 5 | Weight Minimum- 420 Kg | | |
| | 6 | Gear Box - Multispeed | | |
| | 7 | Type of blade- L/C type | | |
| | 8 | OEM/Authorization Certificate | | |
| (2) Fixed Lift Disc Harrow | 1 | Type: Tractor drawn offset type disc harrow | | |
| | 2 | Type of Discs: Plain | | |
| | 3 | Diameter of disc: Minimum 24 inch | | |
| | 4 | Material of disc: Carbon Steel | | |
| | 5 | Total Weight Minimum: 430 Kg | | |
| | 9 | OEM/Authorization Certificate | | |
| (3) Tractor Mounted Sprayer | 1 | Type: Tractor mounted & PTO operated | | |
| | 2 | Frame material must be heavy duty MS material | | |
| | 3 | Tank capacity Minimum: 500 liters | | |
| | 4 | Type of pump: 5 HP | | |
| | 5 | Pump RPM: 800-1200 | | |
| | 6 | Pump operating pressure: 200 to 300 PSI | | |
| | 7 | Pressure regulator, pressure gauge and pressure dampener must be provided | | |
| | 8 | Delivery Hose (10 mm) length Minimum: 100 mtr | | |
| | 9 | Provision of hose reel must be provided | | |
| | 10 | Nozzle material: Brass/Stainless steel | | |
| | 12 | Drain plug provided | | |
| | 13 | Provide one spray gun extra with nozzle | | |

मैं/मेरी फर्म उक्त समस्त तकनीकी मापदण्ड पूर्ण करने हेतु बाध्य रहूंगा।

Ray

हस्ताक्षर निविदादाता

13

कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

Farm Implements खुली निविदा हेतु वांछित दस्तावेजात की सूची निम्न प्रकार संलग्न करें।

| क्र. सं. | आवश्यक दस्तावेजात का विवरण | संलग्नक सूची क्रमांक |
|----------|---|----------------------|
| 1. | निविदा शर्तों पर सहमति मय हस्ताक्षर | |
| 2. | निविदादाता द्वारा संलग्न घोषणा प्रपत्र 'ब' | |
| 3. | निविदादाता द्वारा संलग्न घोषणा प्रपत्र 'स' | |
| 4. | निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र 'द' | |
| 5. | निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र 'य' | |
| | निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र 'ल' मय UDIN | |
| 6. | The Tenderer should mention the company, make & model name/number of the quoted equipment and submit the technical brochure of the quoted model in the technical bid along with compliance sheet as per technical specifications. | |
| 7. | Manufacturer/company should have ISI certification | |
| 8. | Manufacturer/supplier should have authorized certificate of item. | |
| 9. | Supplier have mentioned service center place & online service support number on firm letter head. | |
| 10. | Manufacturer/supplier should submit testing report of Tractor MB Plough (Reversible Type & Hydraulic) | |
| 11. | Manufacturer/supplier should submit satisfactory report/supply order for the mentioned order. | |
| 12. | Broacher एवं सर्विस सेंटर, ग्राहक सेवा/संबंधित का मोबाईल नं० | |
| 13. | निविदा शुल्क ₹ 500 /- | |
| 14. | धरोहर राशि ₹ 6340 /- | |
| 15. | Guarantee/Warrantee certificate on firm letter pad | |
| 16. | संलग्न जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं पैन नम्बर | |

नोट:- उपरोक्त वांछित दस्तावेजात के अभाव में निविदा अनुत्तरदायी माना जावेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अनुत्तरदायी होनी पर फर्म की वित्तीय निविदा को नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त दस्तावेज सूची अनुसार तकनीकी प्रपत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें


अधिष्ठाता

19

कृषि महाविद्यालय कुम्हेर

वित्तीय निविदा प्रपत्र

Farm Implements हेतु खुली निविदा संख्या फ./खु.नि./भंडार/कृ.म.भ./2024/2576 दिनांक:
21.08.2024

Annexure-II (लिफाफा नं. 02)

BOQ Format प्रपत्र "ब"

| क्र.सं. | फार्म इम्प्लीमेंटस का नाम | मार्का | निविदादाता द्वारा प्रदत्त दरें सभी खर्चे (कर, FOR) सहित |
|---------|----------------------------|--------|---|
| 1 | Rotavator | | |
| 2 | (2) Fixed Lift Disc Harrow | | |
| 3 | Tractor Mounted Sprayer | | |

नोट: निविदादाता को निविदा की समस्त शर्तों के अनुसार ही अपनी दरें एवं सामान की आपूर्ति/कार्य करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर